(37)

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1151] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2006/आश्विन 8, 1928
No. 1151] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2006/ASVINA 8, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2006

का.आ. 1641(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 7-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की मार्च, 2006 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2006 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम गुटों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों के गाँवों में जबरन धन वसूली तथा हिंसक कार्रवाइयां सतत रूप से की जा रही हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गयी है। ये भूमिगत गुट इन दोनों जिलों के रास्तों का इस्तेमाल अन्य देशों से प्राप्त किए गए शस्त्रों और गोला बारूद को पड़ोसी राज्यों असम एवं नागालैंड में भेजने के लिए भी करते हैं।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अत: यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 31 मार्च, 2007 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]
नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2006

S.O. 1641(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India *vide* their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed *interalia* that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2006 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2006.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. While National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), and United Liberation Front of Assam continue to indulge in extortion and acts of violence in the villages of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh, the Inter Group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) further vitiate the law and order situation in these two districts. These Under Ground outfits also use these two districts as transit route for transshipment of arms and ammunitions procured from other Countries to neighbouring States of Assam and Nagaland.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and the conditions exists for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has therefore, been decided that the Notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.